यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, बेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, बेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल के माह 11.2013 से 10.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, तथा श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.11.2017 से 30.11.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-**I**

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वी॰ पी॰ संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री रामवीर संह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 03.12.2013 से 07.12.2013 तक श्री आई॰ के॰ जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04.2002 से 10.2013 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

महा वद्यालय पौड़ी जनपद के सुदूर पूर्व द क्षण में वीरंगना तीलू रौतेली की कर्मस्थली बीरौंखाल वकासखण्ड के अन्तर्गत एकमात्र उच्च शक्षा का केन्द्र है। वषय भौगो लक कठिनाइयों के बावजूद यह महा वद्यालय वकासखण्ड-पोखड़ा, धुमाकोट (नैनीडांडा) बीरौंखाल व थलीसैंण के लगभग 40 राजकीय एवं अशासकीय इण्टरमी डएट कॉलेजों के छात्र/छात्राओं के लए उच्च शक्षा का केन्द्र है।

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना **(01,03,06)**		आ धक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	201**4**-1**5**	शून्य	शून्य	57.61	56.13	-	1.48	2.44	1.74	-	0.70
2	201**5**-1**6**	शून्य	शून्य	61.00	52.87	-	8.13	3.18	1.96	-	1.22
3	201**6**-1**7**	शून्य	शून्य	37.05	36.99	-	0.06	5.62	5.52	-	0.10
4	**2017-18 (10/17)**	शून्य	शून्य	64.70	27.82	-	36.88	3.61	0.58	-	3.03

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (10/2017)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). स चव, उच्च शक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महा वध्यालय, वेदीखाल, पौड़ी, गढ़वाल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 11.2013 से 10.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय**,** बेदीखाल**,** पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय**,** बेदीखाल**,** पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04.2014 एवं 03.2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2-(ब)

प्रस्तर **01:-** धनरा श रु **79,595/-** की निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिय एवं नियम संख्या 196 एवं 197 के अनुसार अनुपयोगी सामाग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी/ निस्तारण की जानी चाहिय ता क उक्त सामाग्री की और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय बेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल के भंडार संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया क महा वद्यालय मे वगत वर्षो (सामाग्री वर्ष 2001 से 2016 के मध्य क्रय क गयी) से रु 79,595/- मूल्य क सामाग्री निष्प्रयोज्य/ अनुपयोगी पड़ी हुई थी। जिसे महा वद्यालय द्वारा दिनांक 11.08.2015 एवं 25.05.2017 मे भौतिक सत्यापन कर निष्प्रयोज्य घो षत कया गया था। अतः धनरा श रु 79,595/- मूल्य क सामाग्री जो क 24 माह से 6 माह क अव ध से अ धक समय पहले निष्प्रयोज्य घो षत क जा चुकी थी, के नीलामी/ निस्तारण हेतु महा वद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नही क गयी थी। इस प्रकार सामाग्री के 24 माह से अ धक समय से निष्प्रयोज्य घो षत होने के बाद भी नीलामी न कए जाने के कारण उक्त सामाग्री का निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था जिसके कारण उक्त सामाग्री क नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया क भ वष्य मे निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी प्र क्रया त्वरित गति से पूरी करने का प्रयास कया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्यो क सामाग्री इकाई क उदा सनता के कारण निष्प्रयोज्य सामाग्री क नीलामी न कए जाने के कारण उससे प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों कम हो रही है, जिस कारण शासकीय हानि हो रही है।

अतः धनरा श रु **79,595/-** की निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न कया जाना का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग : 2-(ब)

प्रस्तर **02:-** काशनमनी/ प्रतिभूति धनरा श का रखरखाव नियमानुसार नही कया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये रु **173237**/- का अनिय मत आहरण तथा धनरा श रु **2,51,420**/- का अ क्रयशील पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महा वद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1.यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्ययप्त (लेप्स) कर दी जाएगी।

2.छात्र कोषो के लए परामर्शदात्री स मति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनि धत्व 50 प्रतिशत होगा। यह स मति संबन्धित कोष के लए प्राप्त धनरा श के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग कया जाएगा।

3.छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।

4. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, बेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल के काशनमनी/प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अ भलेखो क जांच मे निम्न वसंगतिया/ अनिय मता पायी गयी।

प्रकरण-**1**:- महा वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनरा श बैंक खाता संख्या 2212101000868 मे जिसका अंतिम अवशेष रु 2,51,420/- पाया गया, वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी थी और न ही इसकी मांग छात्रों द्वारा की गयी है जिस कारण उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे अ क्रयशील पड़ी हुई है।

प्रकरण-**2**:- काशनमनी खाता से महा वद्यालय द्वारा भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर बिना स मति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन स मति के अनुमोदनपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा के अनुमति प्राप्त कए बिना, धनरा श का आहरण कया गया है जिसका ववरण निम्नवत है:-

क्र॰स॰	आहरित धनरा श	दिनांक	प्रयोजन	काशनमनी खाता मे समायोजन
1	2500	17.12.11	प्र शक्षण हेतु	शून्य
2	1000	07.09.10	अ ग्रम	रु 1000 25.11.10 को वा पस
3	4000	30.08.10	T.A. अ ग्रम	रु 4000 24.12.10 को वा पस
4	200	08.06.10	T.A. अ ग्रम	रु 200 6.01.11 को वा पस
5	2000	16.09.17	डाक टिकट हेतु	शून्य
6	5000	09.06.12	अ ग्रम	शून्य
7	700	26.09.12	डाक टिकट हेतु	शून्य
8	5000	29.09.12	यात्रा हेतु	शून्य
9	2000	29.09.17	-	शून्य

उक्त ता लका से स्पष्ट है काशनमनी खाता से उक्त शासनादेश के वपरीत रु 22,400/- का आहरण कया गया था तथा अहरीत धनरा श मे से मात्र रु 5200/- का ही समायोजन लेखापरीक्षा ति थ तक कया गया था।

प्रकरण-3:- संबन्धित पंजिका/ अ भलेखो यह भी पाया गया क काशनमनी खाता से रु 90,000/- क धनरा श बिना स मति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन स मति के अनुमोदनपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा के अनुमति प्राप्त कए बिना फक्स डपॉजिट FDR No. 808039, दिनांक 31.05.2002 हेतु अहरित कया गया था। फक्स डपॉजिट 03 वर्ष क अव ध के लए खोला गया था, जिसकी परिपक्व/पूर्ण होने की अव ध 31.05.2005 (maturity date) तथा maturity amount रु 1,14,142/- संप्रेक्षा मे पाया गया। आगे पाया गया क उक्त FDR से प्राप्त धनरा श रु 1,14,142/- को काशनमनी खाते मे जमा नही कया गया था, बल्कि काशनमनी खाते से 36,695/- क अतिरिक्त धनरा श का आहरण कर दिनांक 31.05.2005 को पुनः रु 1,50,000/- (FDR No. 808039 से प्राप्त रु 1,14,142 + काशनमनी खाता से अहरित रु 35,858/-) क फक्स डपॉजिट FDR No. 466982 को 60 माह (5 वर्ष) हेतु संचा लत कया गया, जिसकी परिपक्व/पूर्ण होने क अव ध 31.05.2010 पायी गयी थी। आगे संप्रेक्षा मे पाया गया क लेखा परीक्षा ति थ तक काशनमनी से शासनादेश के वपरीत अनिय मत रूप से संचा लत उक्त फक्स डपॉजिट के परिपक्व/ पूर्ण होने के 7 वर्ष गुजर जाने के उपरांत भी संबन्धित अहरित धनरा शयों को ब्याज सहित काशनमनी पंजिका/ खाता मे जमा नही कराया गया था और न ही लेखापरीक्षा को संबन्धित FDR क अधतन स्थिति से अवगत कराया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क

प्रकरण-1:- छात्रों द्वारा मांग नही कए जाने के कारण धनरा श खाते मे जमा है। भ वष्य मे अ भलेखो का रखरखाव वस्तृत सूचना के अनुरूप कया जाएगा तत्समय चाही गयी सूचना के अनुरूप अ भलेख तैयार कर अनुपालन आख्या मे प्रस्तुत क जाएगी ।

प्रकरण-2:- भ वष्य मे पुनरावृ त्त से बचा जाएगा ।

प्रकरण-3:- भ वष्य मे काशनमनी से धनरा श अहरित करने से पूर्व नियमानुसार उच्चा धकारियों से अनुमति प्रदान ली जाएगी एवं परिपक्व होने के पश्चात अहरित धनरा श का समायोजन कर दिया जाएगा तथा संबन्धित प्रकरण क वास्त वकता क जांच करने के पश्चात स्थिति अनुपालन आख्या मे स्पष्ट क जाएगी ।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क काशनमनी/ प्रतिभूति क रा श छात्रों क है जिसे अन्य प्रयोजन पर व्यय कए जाने हेतु नियम संगत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा से प्रत्येक अवसर पर अनुमति प्राप्त कया जाना चाहिय था तथा अनिय मत रूप से संचा लत फक्स डपो सट एवं भन्न- भन्न प्रयोजन हेतु अहरित धनरा शयों को संबन्धित खाता मे जमा कया जाना चाहिय था।

अतः काशनमनी/ प्रतिभूति धनरा श का रखरखाव नियमानुसार नही कया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये रु **173237/-** का अनिय मत आहरण तथा धनरा श रु **2,51,420/-** का अ क्रयशील पाया जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2: (ब)

प्रस्तर **03:-** छात्रनि ध खातो मे अर्जित ब्याज की धनरा श रु **1,47,718/-** का अ क्रयाशील होना तथा धनरा श रु **1,28,004/-** का अनिय मत आहरण।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महा वद्यालयो मे छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग संबं धत नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महा वद्यालयो मे छात्रनि धया संचा लत कए जाने का प्रावधान कया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, बेदीखाल, पौड़ी, गढ़वाल के छात्रनि धयों संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु प्रथक से बैंक खाते खोले गए है। महा वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 11 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया महा वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज क धनरा श अर्जित हो रही है। महा वद्यालय को कुल रु 1,47,718/- क धनरा श ब्याज के रूप मे अर्जित हुई थी, जिसे महा वद्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय नही कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है। आगे पाया गया क छात्रनि धयों से प्रयोजन के वपरीत क्रीडा नि ध, निर्धन छात्र, मह वद्यालय वकास नि ध से क्रमश; रु 1,03,963/- पुस्तकों के क्रय हेतु, रु 741/- समाचार पत्र हेतु तथा रु 23,300/- अन्य प्रयोजन पर व्यय कया गया तथा महा वद्यालय द्वारा छात्रनि ध अन्य शुल्क हेतु रु 220/- छात्रों से ली जा रही थी जो क शासनादेश के अनुसार अनुमान्य नही पायी गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क महा वद्यालय मे उ चत समय पर क्रीडा इत्यादि गति व धया करायी जाती परंतु ऐसा कोई वा र्षक निर्धारित कार्यक्रम क्रीडा इत्यादि प्रत्यक्ष मे नही है भ वष्य मे नीति बनायी जाएगी एवं संबन्धित ब्याज की रा श छात्रों पर व्यय करने के संबंध मे

उच्चा धकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर फंड का सदुपयोग का निर्णय लया जाएगा। छात्रनि ध से प्रयोजन के वपरीत आहरण संबन्धित आप त्त के संबंध मे इकाई ने भ वष्य हेतु नोट कया है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क छात्र नि धयो की धनरा श(ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु कया जाना अनिवार्य था जिसे वभागीय उदा सनता के कारण, न केवल छात्र नि धयो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नही कया जा सका बल्कि रु 1,47,718/- की अर्जित ब्याज की धनरा श वगत कई वर्षो से अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है तथा शासनादेश का उल्लंघन करते हुये प्रयोजन के वपरीत छत्रनि धयों से धनरा श रु 1,28,004/- का अनिय मत आहरण कया गया है।

अतः छात्रनि ध खातो मे अर्जित ब्याज की धनरा श रु **1,47,718/-** का अ क्रयाशील होना तथा धनरा श रु **1,28,004/-** का अनिय मत आहरण का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग : 2-(ब)

प्रस्तर **04:-** भवन की रखरखाव की उपेक्षा के कारण नि र्मत लागत से **4** गुना अ धक मरम्मत/अनुरक्षण पर शासन को संभा वत प्राक्कलन प्रे षत करने के प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यलय बेदीखाल (पौड़ी) की संचा लत भवन पत्रावली की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया क शासनादेश सं0 3561/Sattar-5-97-118/95 दिनांक 20/09/97 के अनुक्रम में महा वद्यालय भवन नि र्मत करने का निर्णय लया गया जिसमें यह बात प्रकाश में आयी क वर्तमान संचा लत भवन ₹ 80.27 लाख की लागत से तैयार कर हस्तागत करने की निर्धारित ति थ दिनांक 31 दिसम्बर 2000 पायी गयी। नि र्मत महा वद्यालय भवन प्रारंभ से ही अधोमानक (Substandard) पाया गया क्यों क इसकी पुष्टि तत्कालीन प्राचार्य के पत्रांक 34/दा-2/2000-2001 दिनांक 13.05.2000 के निरीक्षण रिपोर्ट में ही कर दी गयी थी क प्रशासनिक भवन में छत पड़ी है ले कन दो दिन पानी पड़ने से सभी कमरों की दीवारों में पानी आ रहा है, जिससे लगता है क छत का कार्य सही नहीं है। छत में जगह-जगह दरारे पड़ी हुई हैं। वर्तमान में महा वद्यालय के पत्रांक सं0 67/2016-17 दिनांक 01.09.2016 द्वारा निदेशक उच्च शक्षा से भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण कमरों में पानी का टपकना, पूरे भवन के करमों की छतों का प्लास्टर गरने के कारण मरम्मत अनुरक्षण हेतु ₹ 316.36 लाख की आगणन की स्वीकृति हेतु शासन को प्रे षत कया जाना पाया गया। अ भलेखों की जाँच में आगे पाया गया क भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्ष णक वत्तीय सहायता पाने में महा वद्यालय वं चत रहा। वर्तमान लेखा परीक्षा दल द्वारा सत्यातता की जाँच के लए भवन की बारीकी से अवलोकन में इन 17 साल की अव ध में भवन की मजबूती में तेजी से क्षय होना पाया गया। कक्षों में पानी से बचाव के लये अस्थायी प्लास्टिक सीट से कवर करना तथा जहाँ-तहाँ दिवालों में बड़े-बड़े दरार देखा गया जिसकी ली गयी फोटोग्राफ्स में संयुक्त पुष्टि की गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर क क्या प्रारंभ में भवन में आयी क मयो को निर्माण एजेंसी ने दूर कया, इकाई का उत्तर था क प्रकरण काफी पुराना होने के कारण तत्कालीन पत्राचार अ भलेख उपलब्ध न होने के कारण तथ्यों की वास्त वक जानकारी देने में वर्तमान में महा वद्यालय असमर्थ है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं पाया गया, यदि अ भलेखों का रखरखाव क्रमबद्ध रूप से प्रारम्भ से करते हुये निर्माण एजेंसी पर शासकीय दबाव बनाया जाता तो इतनी तेजी से भवन के नुकसान से बचा जा सकता था, परंतु उदासीनता के कारण भवन की लागत से उसके मरम्मत/अनुरक्षण पर तकरीबन चार गुना व्यय की संभावना पायी गयी तथा भवन की दयनीय स्थिति होने के कारण महा वद्यालय शक्षा परियोजना सहायता से भी वं चत रहा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR-136/2013-14	शून्य	01,02	--	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-136/2013-14	भाग-दो (ब) प्रस्तर – 01 व 02	--	--	यूनिट द्वारा अ वलम्ब निर्धारित प्रपत्र में आख्या तैयार कर उच्चा धकारी के माध्यम से म.ले. कार्यालय भेजने की बात कही गयी।

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय बेदीखाल पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: **11/2000** से **03/2002**

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ गंगा बोरा	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय वेदीखाल	19.08.2009 से 23.02.2016
डॉ प्रवीन जोशी (प्रभारी)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय वेदीखाल	23.02.2016 से 26.08.2016
डॉ राकेश इस्टावाल (प्रभारी)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय वेदीखाल	26.08.2016 से 18.07.2017
डॉ रेनू नेगी (प्रभारी)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय वेदीखाल	18.07.2017 से अद्यतन

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय बेदीखाल**,** पौड़ी**,** गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.